संख्या- 27/2018/119बीपी/35-1-2018

प्रेषक,

आर.एन.एस. यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: **03** अक्टूबर, 2018

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से सम्बन्धित बांदा कृषि विश्व विद्यालय परिसर में केन नदी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना की वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या- 31/2017/111बीपी/35-1-2017, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा रू. 1874.86 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 749.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया तथा कोई धनराशि समर्पित नहीं की गई। एतदद्वारा परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु वर्ष 2018-19 में विभागीय मांग पर कार्य हेतु उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत रू. 682.00 लाख (छः करोड़ बयासी लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. कार्यों को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ अनुमोदित लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग विलम्बतम 31 मार्च 2019 के पूर्व कर लिया जायेगा, यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व राजकोष में जमा किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।
5. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश कार्यालय में अनुरक्षित लेखों से कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून, 2019 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तथा तदनुसार धनराशि का आहरण होगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-01-कृषि विश्व विद्यालय बांदा परिसर में केन नदी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2018 /बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आर.एन.एस.यादव
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 27/2018/119 बीपी(1)/35-1-2018, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4- प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।
5- प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।
6- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम।
8- जिलाधिकारी, बांदा।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बांदा।
10- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- कोषाधिकारी, बांदा।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बांदा।
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

आर.एन.एस.यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in